# मेन्स मास्टर

## गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक कल्याण प्रणाली डिजाइन करना

**संदर्भ**

यह लेख विशेष रूप से भारत में गिग श्रमिकों के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने की जटिलताओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। यह प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए विशेष सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को डिजाइन करने की सीमाओं पर प्रकाश डालता है, सभी श्रमिकों को कवर करने के लिए अधिक सार्वभौमिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देता है। यह लेख सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पर चर्चा करता है, जिसका उद्देश्य व्यापक कवरेज प्रदान करना है, लेकिन विभिन्न कार्य पैटर्न को समायोजित करने, समावेशिता सुनिश्चित करने और वित्तीय बोझ का निर्धारण करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

**प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा:**

• विशेष प्रणाली चुनौतियाँ: प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए एक विशेष सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को डिज़ाइन करने में गैर-प्लेटफ़ॉर्म गिग श्रमिकों के बहिष्कार, सभी क्षेत्रों में विविध कार्य पैटर्न को ध्यान में रखने में विफलता के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

**प्लेटफ़ॉर्म-विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा प्रणाली से संबंधित चिंताएँ:**

• **गैर-प्लेटफ़ॉर्म गिग श्रमिकों को बाहर करना:** एक अलग प्रणाली कार्यबल के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बाहर कर देगी जिन्हें सामाजिक सुरक्षा कवरेज की आवश्यकता है, जिससे असमानताएं और सुरक्षा में अंतराल पैदा होगा।

• **काम की वास्तविकताओं की उपेक्षा:** पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी मॉडल आधुनिक काम की तरलता और गैर-रेखीय प्रकृति को पकड़ने में विफल रहता है, जहां व्यक्ति प्लेटफ़ॉर्म बदल सकते हैं, अंशकालिक काम कर सकते हैं, या प्लेटफ़ॉर्म और गैर-प्लेटफ़ॉर्म गिग्स को जोड़ सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप कई श्रमिकों के लिए अपर्याप्त सुरक्षा जाल होता है।

• **सीमित पहुंच और विखंडन की संभावना:** विशिष्ट क्षेत्रों, श्रमिकों के प्रकार, या आय के स्तर के आधार पर सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को डिजाइन करना अप्रभावी हो सकता है और सीमित पहुंच वाले कार्यक्रमों के पैचवर्क को जन्म दे सकता है, जिससे भ्रम और प्रशासनिक जटिलताएं पैदा हो सकती हैं।

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के लिए तर्क:

• **व्यापक कवरेज और समावेशिता:** एक सार्वभौमिक प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि सभी श्रमिकों को, उनके प्लेटफ़ॉर्म उपयोग, कार्य प्रकार या स्थान की परवाह किए बिना, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच हो, निष्पक्षता को बढ़ावा मिले और कोई भी पीछे न छूटे।

• **बदलते कार्य पैटर्न के प्रति अनुकूलनशीलता:** एक सार्वभौमिक प्रणाली कार्य की बदलती प्रकृति के प्रति अधिक लचीली और उत्तरदायी हो सकती है, जो विविध कार्य स्थितियों और गैर-रेखीय कैरियर पथों के कवरेज की अनुमति देती है।

• **अधिक पहुंच और प्रभाव:** सभी श्रमिकों को शामिल करके, एक सार्वभौमिक प्रणाली संभावित रूप से व्यापक पहुंच और गरीबी को कम करने और समग्र कल्याण में सुधार पर अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।

**वर्तमान सीमाओं को संबोधित करना:**

• असंगठित श्रमिकों के लिए पहुंच का विस्तार: भारत में मौजूदा सार्वभौमिक प्रणालियाँ अक्सर असंगठित श्रमिकों के लिए लाभों को बाहर कर देती हैं या सीमित कर देती हैं। इसे पात्रता मानदंड में संशोधन करके और सभी श्रमिकों को कवर करने के लिए ईपीएफ और ग्रेच्युटी जैसे कार्यक्रमों का विस्तार करके संबोधित किया जा सकता है, भले ही उनके रोजगार की स्थिति कुछ भी हो।

• **मातृत्व लाभ की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना:** कर्मचारियों की संख्या की परवाह किए बिना, सभी प्रतिष्ठानों में मातृत्व लाभ का विस्तार करना, सभी क्षेत्रों में कामकाजी माताओं को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगा।

• **न्यूनतम श्रमिक सीमा को समाप्त करना:** ईपीएफ और ग्रेच्युटी जैसे कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम श्रमिक आवश्यकताओं को हटाने से यह सुनिश्चित होगा कि छोटे उद्यम और उनके कर्मचारी भी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली से लाभान्वित हो सकें।

**सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के लिए एक प्रस्तावित मॉडल:**

• **ई-श्रम डेटाबेस का लाभ उठाना:** स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए मौजूदा ई-श्रम डेटाबेस का उपयोग करके सभी श्रमिकों की पहचान करने और उनके रोजगार की स्थिति या स्थान की परवाह किए बिना सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में नामांकन करने के लिए एक व्यापक मंच तैयार किया जा सकता है।

• **व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना:** प्राथमिक देखभाल के लिए आसानी से सुलभ शहरी वॉक-इन क्लीनिकों के साथ माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए स्वास्थ्य बीमा का संयोजन करने वाला दो-आयामी दृष्टिकोण सभी पंजीकृत श्रमिकों के लिए पूर्ण और कुशल स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करेगा।

• **सार्वभौमिक पेंशन की शुरूआत:** लाभ बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक योगदान के विकल्प के साथ, सभी श्रमिकों के लिए मुद्रास्फीति-सूचकांकित न्यूनतम पेंशन की एक प्रणाली लागू करना, एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल प्रदान कर सकता है और बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा दे सकता है। एक एकीकृत प्रणाली बनाने के लिए अस्थायी श्रमिकों के लिए मौजूदा योजनाओं को एकीकृत किया जा सकता है।

• **बेरोजगारी सहायता की पेशकश:** बेरोजगारी की अवधि के दौरान वैकल्पिक बेरोजगारी लाभ या पुन: कौशल और अपस्किलिंग के अवसर प्रदान करना श्रमिकों को सशक्त बना सकता है और नए रोजगार में संक्रमण को आसान बना सकता है।

**सिस्टम को वित्तपोषित करना:**

• **नियोक्ता का योगदान**: सभी पंजीकृत कंपनियों को अपने वार्षिक कारोबार का एक छोटा प्रतिशत (1%) स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और बेरोजगारी लाभ (या एक केंद्रीय सामाजिक कल्याण निकाय के लिए संयुक्त 2%) के लिए समर्पित निधि में योगदान करने की आवश्यकता होगी, जिससे एक स्थायी निर्माण होगा वित्त पोषण तंत्र.

• **सरकारी समर्थन**: सरकार सिस्टम को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करके, इसकी दीर्घकालिक स्थिरता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

• **कार्यकर्ता योगदान:** ई-श्रम पंजीकरणकर्ताओं से स्वैच्छिक योगदान को प्रोत्साहित करना जो भुगतान करने में सक्षम हैं, इस प्रणाली को और मजबूत कर सकते हैं और व्यक्तियों को उनकी सामाजिक सुरक्षा का नियंत्रण लेने के लिए सशक्त बना सकते हैं।

• **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एकीकरण:** कंपनियों को पारंपरिक सीएसआर दायित्वों के बदले इन सामाजिक कल्याण निकायों में योगदान करने की अनुमति देने से मौजूदा संसाधनों का लाभ उठाया जा सकता है और सामाजिक सुरक्षा पहल के समर्थन में कॉर्पोरेट भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

समाज कल्याण पर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य:

• **पारंपरिक मॉडल से आगे बढ़ना:** हमें पुराने नियोक्ता-कर्मचारी मॉडल से हटकर काम के अधिक लचीले और समावेशी दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की जरूरत है जो आधुनिक कार्यबल की विविध वास्तविकताओं को पहचानता हो।

• **सार्वभौमिक योगदान और जिम्मेदारी:** एक ऐसी प्रणाली स्थापित करना जहां हर कोई अपनी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर सामाजिक कल्याण में योगदान दे, साझा जिम्मेदारी और सामूहिक कल्याण की भावना को बढ़ावा दे सकता है।

• **गतिशील और परस्पर जुड़ी नीतियां:** अच्छी तरह से समन्वित और अनुकूलनीय नीतियों को लागू करना जो स्वास्थ्य, आय सुरक्षा और बेरोजगारी जैसे सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करती हैं, एक व्यापक और प्रभावी प्रणाली के लिए आवश्यक है।

• **कुशल कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** भारत के मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के प्रशासन को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है।

## प्राकृतिक खेती के लिए बेहतर कीमतों, बाजारों की जरूरत है

**संदर्भ**

यह लेख हरित क्रांति की सफलता के बावजूद कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। यह एक स्थायी विकल्प के रूप में प्राकृतिक खेती (एनएफ) के उभरने पर प्रकाश डालता है। हालाँकि, यह एनएफ अपनाने में बाधा डालने वाली बाधाओं पर जोर देता है, जैसे बाजार की सीमाएँ और उपभोक्ता जागरूकता की कमी। यह टुकड़ा एनएफ की ओर बदलाव को सुविधाजनक बनाने और इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणन प्रणाली, वैकल्पिक बाजार रणनीतियों और सहकारी पहल जैसे समाधान प्रस्तावित करता है।

**प्राकृतिक खेती (एनएफ) में परिवर्तन की चुनौतियाँ:**

• **सीमित विभेदित बाजार और प्रीमियम कीमतें:** एनएफ उत्पादों की पहचान करने और उन्हें उच्च कीमतों के साथ पुरस्कृत करने के लिए अच्छी तरह से विकसित प्रणालियों की अनुपस्थिति किसानों को इन प्रथाओं को अपनाने से हतोत्साहित करती है। जबकि स्वस्थ, टिकाऊ भोजन में उपभोक्ताओं की रुचि बढ़ रही है, उन्हें वास्तविक एनएफ उपज से जोड़ने के लिए मजबूत बाजार तंत्र की कमी है।

• **किसानों और उपभोक्ताओं के बीच ज्ञान का अंतर:** किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को इसके मूल्य को पूरी तरह से समझने और मांग को बढ़ाने के लिए एनएफ के लाभों के बारे में शिक्षा और जागरूकता की आवश्यकता है। कई किसान अभी भी प्राकृतिक खेती की विशिष्ट तकनीकों और फायदों से अपरिचित हैं, जबकि उपभोक्ताओं को वास्तविक एनएफ उत्पादों को पारंपरिक या जैविक उत्पादों से अलग करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे अनिश्चितता और झिझक पैदा हो सकती है।

• **विश्वास संबंधी चिंताओं के साथ विशिष्ट बाजार की वृद्धि:** उपभोक्ता हित में उत्साहजनक वृद्धि के बावजूद, वर्तमान एनएफ बाजार अपेक्षाकृत छोटा बना हुआ है। इसके अलावा, लेबल किए गए एनएफ उत्पादों की प्रामाणिकता और विश्वसनीय प्रमाणन प्रणालियों की कमी के बारे में चिंताएं उपभोक्ता विश्वास को कम कर सकती हैं और व्यापक रूप से अपनाने में बाधा डाल सकती हैं।

**एनएफ के लिए मौजूदा प्रमाणन प्रणाली:**

• **भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस-इंडिया):** यह समुदाय-संचालित दृष्टिकोण पारंपरिक तृतीय-पक्ष प्रमाणन प्रक्रियाओं के बाहर काम करते हुए, गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने में उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। सहयोग और पारदर्शिता को बढ़ावा देकर, पीजीएस-इंडिया का लक्ष्य विश्वास पैदा करना और स्थानीय समुदायों को अपने स्वयं के एनएफ प्रमाणीकरण का प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाना है।

• **हिमाचल प्रदेश CETARA-NF:** यह स्व-प्रमाणन उपकरण हिमाचल प्रदेश में किसानों को NF प्रथाओं के पालन का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह किसानों को उनके स्थायी प्रयासों का स्वामित्व लेने और संभावित रूप से स्थानीय रूप से प्राप्त एनएफ उत्पादों की तलाश करने वाले उपभोक्ताओं से जुड़ने का अधिकार देता है।

• **एनएफ मानकों और लेबलिंग के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ड्राफ्ट:** इस हालिया पहल का उद्देश्य एनएफ प्रथाओं की एक आम समझ स्थापित करना और उन्हें जैविक खेती से अलग करना है। स्पष्ट मानकों और लेबलिंग आवश्यकताओं को रेखांकित करके, बीआईएस मसौदा बाजार में विश्वास पैदा करना और उपभोक्ताओं के लिए वास्तविक एनएफ उत्पादों की आसान पहचान की सुविधा प्रदान करना चाहता है।

**एनएफ के लिए वैकल्पिक बाज़ारों का विस्तार:**

• **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस):** विकेंद्रीकृत उत्पादन, खरीद और वितरण प्रणालियों के माध्यम से स्थानीय एनएफ उपज को पीडीएस में एकीकृत करना मांग का एक शक्तिशाली चालक हो सकता है। यह न केवल उपभोक्ताओं को स्वस्थ, किफायती भोजन तक पहुंच प्रदान करेगा बल्कि किसानों को एक स्थिर बाजार भी प्रदान करेगा और एनएफ प्रथाओं में उनके परिवर्तन को प्रोत्साहित करेगा।

• **मध्याह्न भोजन कार्यक्रम:** पीडीएस के समान, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में स्थानीय रूप से उगाए गए एनएफ उत्पादों को शामिल करने से महत्वपूर्ण लाभ मिल सकते हैं। एनएफ प्रथाओं में लगे एफपीओ से सीधे भोजन प्राप्त करके, कार्यक्रम ग्रामीण समुदायों का समर्थन कर सकता है, बच्चों में स्वस्थ खाने की आदतों को बढ़ावा दे सकता है और टिकाऊ कृषि को व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

• **समर्पित हाट और किसान बाजार:** विशेष रूप से प्रमाणित एनएफ उपज के लिए समर्पित बाजार स्थापित करने से किसानों को स्वस्थ और टिकाऊ भोजन विकल्प चाहने वाले उपभोक्ताओं से सीधे जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा। इससे विश्वास संबंधी चिंताओं को दूर करने और एनएफ उत्पादों के लिए एक वफादार ग्राहक आधार बनाने में मदद मिल सकती है।

• **उपभोक्ता सहकारी समितियाँ:** नजदीकी कृषि भूमि तक आसान पहुंच वाले शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों को संगठित करने से किसानों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा संबंध बन सकता है। इससे उपभोक्ताओं को ताजा, स्थानीय रूप से उगाए गए एनएफ उत्पाद खरीदने की अनुमति मिलेगी जबकि किसानों को एक भरोसेमंद बाजार और उचित मूल्य मिलेगा।

• **अंतर्राष्ट्रीय मॉडल:** कोलंबिया में फैमिलिया डे ला टिएरा और मोजाम्बिक में मापुटो अर्थ मार्केट जैसे सफल उदाहरणों से सीखना भारत में एनएफ के लिए प्रभावी बाजार तंत्र विकसित करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। ये पहल टिकाऊ कृषि उत्पादों के लिए संपन्न बाजार बनाने में किसान संगठनों, उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग की शक्ति को प्रदर्शित करती हैं।

• **टीटीडी पहल**: स्वयं सहायता समूहों से कीटनाशक मुक्त उत्पाद प्राप्त करने के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) की हालिया पहल एनएफ को मौजूदा बाजार संरचनाओं में एकीकृत करने के लिए एक आशाजनक मॉडल के रूप में कार्य करती है। यह स्थानीय किसानों को समर्थन देने और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बड़े संस्थानों की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

## क्या भारत दक्षिण एशिया को 'खो रहा है'? यह सवाल नहीं है

**संदर्भ**
लेख बदलते दक्षिण एशियाई संदर्भ में भारत की स्थिति की जांच करता है, और कथित नुकसान पर शोक मनाने के बजाय उभरती क्षेत्रीय वास्तविकताओं को अपनाने के महत्व पर जोर देता है। यह ऐतिहासिक विरासतों, भू-राजनीतिक परिवर्तनों और मौजूदा चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, साथ ही भारत से पुराने दृष्टिकोणों को त्यागने और अपने हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए उभरते परिदृश्य में रणनीतिक रूप से नेविगेट करने का आग्रह करता है।

**भारत का उदासीन आधिपत्य:**
• भारत की दक्षिण एशिया बहस ब्रिटिश राज के क्षेत्रीय प्रभुत्व के युग की भावनात्मक लालसा में निहित है।
• उपमहाद्वीप के विभाजन ने इसकी एकता को खंडित कर दिया, जिससे अनसुलझे क्षेत्रीय विवाद पैदा हुए जो सहयोग में बाधा बने रहे।
• पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को विभाजन के बाद अधूरा काम मानता है, जिससे भारत के साथ सकारात्मक संबंध विकसित करना और सार्क के तत्वावधान में क्षेत्रीय एकीकरण को सुविधाजनक बनाना मुश्किल हो गया है।

**आर्थिक विच्छेदन:**
• भारत और उसके पड़ोसियों ने, आत्मनिर्भरता की खोज में, आर्थिक विकल्प चुने जिससे क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में बाधा उत्पन्न हुई।
• वैश्वीकरण की दिशा में हाल के प्रयासों के बावजूद, सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाई गई भारी किलेबंदी वाली सीमाएँ व्यावसायिक बाधाओं में बदल गई हैं।
• पाकिस्तान के भूराजनीतिक विचार उसे भारत के साथ आर्थिक सहयोग में शामिल होने से रोकते हैं।

**शक्ति परिवर्तन की गतिशीलता:**
• क्षेत्रीय अभिजात वर्ग अब स्वचालित रूप से दिल्ली की ओर रुख नहीं करता जैसा कि उन्होंने राज के दौरान किया था।
• भारत अपने क्षेत्रीय दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए अपने पड़ोसियों को केवल धमका नहीं सकता या बहका नहीं सकता।
• एकीकृत बृहत् भारत की "अखंड भारत" अवधारणा और एकीकृत उपमहाद्वीप की उदारवादी दृष्टि दोनों पर पड़ोसी देशों को गहरा संदेह है।

**घरेलू राजनीति और बाहरी हस्तक्षेप:**
• भारत की उपस्थिति उसके पड़ोसियों की घरेलू राजनीति में बड़ी है।
• इन देशों के भीतर विभिन्न गुट अपने-अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारत की भागीदारी का फायदा उठाते हैं।
• इस क्षेत्र में एक विशेष भारतीय प्रभाव क्षेत्र की धारणा एक भ्रम है

**उभरती चुनौतियाँ:**
• चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य उपस्थिति भारत के लिए नई रणनीतिक चुनौतियां खड़ी करती है।
• मध्य पूर्वी शक्तियों का बढ़ता प्रभाव इस क्षेत्र में जटिलता की एक और परत जोड़ता है।
• अफगानिस्तान और म्यांमार में चल रहे संघर्ष और अधिक अस्थिरता पैदा करते हैं।

**आगे का रास्ता:**
• भारत को बीते युग के प्रति अपने भावनात्मक लगाव से आगे बढ़ने और क्षेत्र की बदलती वास्तविकताओं को अपनाने की जरूरत है।
• खोए हुए अतीत पर ध्यान देने के बजाय, भारत को अपने हितों को संरक्षित करने और अपने पड़ोसियों के साथ प्रभावी जुड़ाव के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
• उभरते दक्षिण एशियाई परिदृश्य में भारत की सफलता के लिए प्रभुत्व की पुरानी धारणाओं को त्यागना और अधिक सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण होगा।

**निष्कर्षत:** भारत की आगे की राह राज के भूतों से चिपके रहने में नहीं, बल्कि एक गतिशील और विकासशील क्षेत्र के साथ जुड़ने के लिए एक नई रणनीति विकसित करने में निहित है।

# प्रीलिम्स ब्लास्टर

## पीएम जनमन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की कैसे मदद कर सकता है

- 🗺️ पूर्व पीटीजी, जिसे अब पीवीटीजी नाम दिया गया है, में 18 राज्यों के 22,544 गांवों में रहने वाले 75 समूह शामिल हैं।
- 🌍 इन समूहों के पास कृषि-पूर्व जीवनशैली, सीमित साक्षरता, छोटी आबादी और निर्वाह अर्थव्यवस्था चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- 📊 आकार में काफी भिन्नता होने पर, कुछ समूहों में 1,000 से कम व्यक्ति होते हैं (उदाहरण के लिए, ग्रेट अंडमानीज़), जबकि अन्य में 1 लाख से अधिक (उदाहरण के लिए, मारिया गोंड)।
- 🚫 हाशिए पर जाना: अलगाव, कम जनसंख्या और अद्वितीय सामाजिक-आर्थिक विशेषताएं इन समूहों को हाशिए पर रखती हैं।
- 🛑 सीमित पहुंच: उनके पास बुनियादी सेवाओं तक पहुंच नहीं है, उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है और विस्थापन का खतरा रहता है।
- 💼 सरकारी पहल: शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण पर ध्यान।
- 📈 पीएम-जनमन की विशिष्टता: पुराने मानदंडों, ओवरलैपिंग नामों और पीवीटीजी की अपर्याप्त मान्यता पर चिंताओं को संबोधित करता है।

## जियो आईआईटी बॉम्बे के साथ 'भारत जीपीटी' पर काम कर रहा है

📡 रिलायंस जियो इन्फोकॉम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बॉम्बे के सहयोग से अपने 'भारत जीपीटी' कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जिसका लक्ष्य "जियो 2.0" के विकास के लिए एक विस्तृत "विकास का पारिस्थितिकी तंत्र" बनाना है।

💻 इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से टेलीविज़न के लिए तैयार किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम के संभावित विकास के संकेत भी हैं।